परेवडी 25/11/2021

"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
चन्द्रप्रकाश पुत्र तुलछाराम जाट परेवडी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

किस्म वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 230 / 2021 **GCMS No.** 2021/949

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25/11/2021	वादी श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी परेवडी द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत .... में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 ग्राम परेवडी पटवार मण्डल परेवडी के खाता नम्बर 127 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि .... चन्द्रप्रकाश रामचन्द्र पुत्र चन्द्रप्रकाश दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र तुलछाराम .... है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 008374700838 आधार नम्बर .... मतदाता पहचान पत्र USR/1715283 अन्य दस्तावेज .... की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी परेवडी भू.अ.नि [signature] एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	452-558

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.27 10:48:03 IST
Reason: SelfAttested